संख्या-78/1870/47-का-3-2014-24/16/2013

प्रेषक,

संजय कुमार सिंह यादव
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी
सेक्टर-डी, अलीगंज, लखनऊ।

कार्मिक अनुभाग-3 **लखनऊः दिनांकः 01 अगस्त, 2014**

विषय - वित्तीय वर्ष 2014-2015 के अन्तर्गत व्यय हेतु प्रथम छमाही के शेष 02 माह के लिए उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी को वित्तीय स्वीकृति प्रदान किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-647/47-का-3-2014-24/16/2013, दिनांक 11.04.2014 के क्रम में आपसे यह कहने का मुझे निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय, उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, लखनऊ को सहायक अनुदान/ राज सहायता तथा वेतन भत्ते आदि के भुगतान के लिए वित्तीय वर्ष 2014-2015 हेतु आय-व्ययक के अन्तर्गत उ0प्र0 विनियोग अधिनियम-2014 (अधिनियम संख्या-11 सन् 2014) द्वारा स्वीकृत व्यय के लिए रू0-6,45,50,000/-(रूपये छः करोड पैंतालिस लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि में से रू0-1,12,59,083/-(रूपये एक करोड बारह लाख उन्सठ हजार तिरासी मात्र) की प्रथम छः माह के अवशेष 02 माह (माह अगस्त, 2014 व सितम्बर, 2014) के व्यय के लिए अनुदान संख्या-19 के लेखाशीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-आयोजनेत्तर-003-प्रशिक्षण-11-उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, लखनऊ के निम्नलिखित मानक मदों/ उपशीर्षों में सम्मुख अंकित धनराशि अवमुक्त किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

धनराशि (रूपये में)

उपशीर्ष/ मद का नाम	**वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए प्राविधानित आय-व्ययक / अनुदान की धनराशि**	**प्रथम 04 माह (अप्रैल, 2014 से जुलाई, 2014 तक) के व्यय के लिए अवमुक्त की गयी धनराशि**	**प्रथम छः माह के अन्तिम 02 माह (माह अगस्त व सितम्बर, 2014) के व्यय के लिए अवमुक्त की जाने वाली धनराशि**
20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	3,74,60,000	1,04,83,666	67,44,083
31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	2,70,90,000	90,30,000	45,15,000
योग	**6,45,50,000**	**1,95,13,666**	**1,12,59,083**

(रूपये एक करोड बारह लाख उन्सठ हजार तिरासी मात्र)

http://shasanadesh.up.nic.in

2- इस प्रकार जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत कोषागार से धनराशि का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर किया जायेगा।

3- विनियोग अधिनियम द्वारा स्वीकृत/ उपलब्ध करायी गयी धनराशि का उपयोग चालू योजनाओं पर किया जायेगा तथा किसी भी स्थिति में उक्त धनराशि का उपयोग वर्ष 2014-2015 की नयी मदों के कार्यान्वयन के लिए नही किया जायेगा।

4- उक्त धनराशि का आहरण राजकोष से एक मुश्त नही की जायेगी, बल्कि आवश्यकतानुसार राजकोष से आहरित कर सक्षम अधिकारी की अनुमति से नियमानुसार व्यय की जायेगी तथा उक्त धनराशि का बिल महानिदेशक, उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी द्वारा तैयार किया जायेगा एवं उक्त बिल को अनु सचिव, नियुक्ति विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर धनराशि का आहरण महानिदेशक, उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी द्वारा किया जायेगा।

5- व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल/ फाइनेंशियल हैंण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

6- विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आबंटन एवं आबंटित/ वितरित धनराशि के समक्ष किए गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-18/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

7- व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानको (स्टैण्डर्ड आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

8- आहरण विवरण अधिकारी द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा, किसी भी दशा में धनराशि आहरित करके बैंक/ डाकखाने में जमा नही की जायगी।

9- उत्तर प्रदेश के बजट मैनुअल के पैरा-88 के प्राविधानानुसार किया जाने वाला व्यय कडाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाना महानिदेशक, उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी का उत्तरदायित्व होगा। इस संदर्भ में बी.एम.-13 के प्रपत्र पर नियमित रूप से प्रतिमाह कार्मिक विभाग के साथ-साथ (वित्त-नियंत्रण) अनुभाग-5 को सूचना उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है।

3/-

http://shasanadesh.up.nic.in

10- अनुदान संख्या-19 के लेखाशीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-आयोजनेत्तर-003-प्रशिक्षण-11-उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, लखनऊ के लिए वित्तीय वर्ष 2014-2015 हेतु प्राविधानित कुल आय-व्ययक/ अनुदान प्राविधान में से उपशीर्ष "20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि रू0-3,74,60,000/- की धनराशि में से प्रथम छः माह के अंतिम 02 माह (माह अगस्त, 2014 व सितम्बर, 2014) के लिए रू0-67,44,083/-(रूपये सरसठ लाख चौवालिस हजार तिरासी मात्र) तथा उपशीर्ष "31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) में प्राविधानित धनराशि रू0-2,70,90,000/- (रूपये दो करोड सत्तर लाख नब्बे हजार मात्र) में से प्रथम छः माह के अंतिम 02 माह (माह अगस्त व सितम्बर, 2014) के व्यय के लिए रू0-45,15,000/-(रूपये पैंतालिस लाख पन्द्रह हजार मात्र) के मद के अन्तर्गत सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

भवदीय

(संजय कुमार सिंह यादव)
संयुक्त सचिव।

संख्या-78 /1870(1)/47-का-3-2014-24/16/2013, तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(3) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(4) कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) अनु सचिव, नियुक्ति अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
(6) नियुक्ति अनुभाग-6 (लेखा कोष्ठक)।
(7) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5, उत्तर प्रदेश शासन।
(8) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ 2, उत्तर प्रदेश शासन।
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(संजय कुमार सिंह यादव)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in